न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./234/18/भीलवाड़ा (2018/00234)

विभागीय अपील द्वारा श्री कालू राम कुमावत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत फुलियांकलां हाल ग्राम पंचायत, अरवड़, पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 05–03–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री कालू राम कुमावत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत फुलियांकलां हाल ग्राम पंचायत, अरवड़, पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 24.10.2019

दण्डादेश दिनांक 5–3–2018 के विरूद्ध अपचारी ग्राम सेवक द्वारा एक एस.बी. सिविल रिट संख्या 13688/2018 बउनवान कालूराम कुमावत बनाम राज्य सरकार व अन्य के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–9–2018 को निर्णय पारित किया जाकर आदेश दिये गये थे कि आदेश दिनांक 5–3–2018 के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान होने से याची को यह छूट दी जाती है कि वे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी आधार पर याची की याचिका खारिज कर दी गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27–9–2018 के अनुसरण में यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 05–03–2018 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 27.2.2017 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत, फूलियांकला की शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 01 के अनुसार सरपंच के द्वारा श्रीगंगाराम कीर को दिनांक 18–4–2015 को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया था जिसका शुल्क आप द्वारा एक वर्ष पश्चात बिना दण्डनीय ब्याज के मूल राशि बिना स्वीकृति के जमा कर राजकोष को हानि पहुॅचाई है इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 2

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत, फूलियांकला कि शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट की बिन्दू संख्या 3 के अनुसार टी.एफ.सी. मद की राशि का गैर अनुमत कार्य के विरूद्ध शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थीयों को 132000/– रू का भुगतान किया गया। वक्त जांच रोकड़ पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त राशि के हस्तान्तरण की स्वीकृति कोरम द्वारा नही ली गई है। इस कृत के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 3

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला कि शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 6 के अनुसार ग्राम पंचायत फूलियांकला की एम.बी. नम्बर 113 के पेज 25 के अनुसार मानसी नदी से हॉस्पीटल की दीवार तक नाला निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नही लिया है तथा इस कार्य में 40 एम.एम. गिटट्ी कि जगह रिवर ग्रेवल काम में ली गई जो कि कम नाप की होने से गिटट्ी अनुपयोगी है जैसा की जांच रिपोर्ट में अंकित है। गिटट्ी के विरूद्ध किया गया भुगतान अनुपातिक रूप से वसूल योग्य है उक्त कार्य पर लगे कारीगरों को भुगतान सरपंच के द्वारा कुल राशि 34,200/– रू का नकद किया गया जो सामान्य एवं वित्तिय लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 4

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला कि शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 7 के अनुसार गोपाल वैष्णव के मकान से नहर तक का रास्ता दुरूस्तीकरण कार्य एफ.एफ.सी. मद से राशि 50,865/– रू का कार्य करवाया जाना अंकित है किन्तु एम.बी. में प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक /स्वीकृत राशि व मस्टररोलों के इन्द्राज का अभाव पाया गया जैसा कि अभिकथन में वर्णित है। इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 5

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला कि शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 11 के अनुसार सोमानिया तालाब की आव पर गेट व फेसवाल का निर्माण जो टी.एफ.सी. मद से राशि 4,76,511/– रू का करवाया

गया जिसका कोरम द्वारा कोई प्रस्ताव नही लिया गया तथा उसी स्थान पर 18 माह पूर्व उक्त कार्य मनरेगा योजना में 4.2.2013 को पूर्ण हो चुका था जिस पर राशि 4,86,007/–रू का व्यय किया जाना पाया गया। कनिष्ठ अभियन्ता की कन्डम रिपोर्ट के बिना पुनः टी.एफ.सी. मद से कार्य करवाया गया है। इस कार्य में मात्र प्लास्टर करके नया काम से भुगतान उठाया गया है जो कि वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है। जैसा कि जांच रिपोर्ट एवं अभिकथन में वर्णित है। इस प्रकार टीएफसी मद से व्यय राशि 476,511/– रूप्ये अनुपयोगी होने से अनुपातिक रूप से 1/3 राशि आप से वसूली योग्य है। इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 6

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला कि शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार प्रकाश व्यवस्था कार्य हेतु निविदा एव ंक्रय पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा प्रकाशन में राशि का अंकन भिन्न पाया गया जैसा कि जांच रिपोर्ट एवं अभिकथन में वर्णित है। दिनांक 10–9–2015 को सम्पन्न निविदा ही अनियमित है जैसा कि जांच रिपोर्ट में अंकित है। इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 7

यह कि सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला की शिकायत उपरान्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार श्री गणेश/बंशीलाल छीपा के द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किये जाने के बावजूद राशि हस्तान्तरित होना पाया गया है इस कृत्य के लिए आप जिम्मेदार है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट को पर्याप्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 5–3–2018 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में विभागीय जांच में लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध हुए हैं जिसके तहत अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड

से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया। बरवक्त सुनवाई इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–03–2018 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 1 का जवाब देते हुए कथन किया कि श्री गंगाराम कीर को दिनांक 18.4. 2015 को स्वामित्व प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी नही किया। मैने ग्राम पंचायत फूलियांकला का कार्यभार दिनांक 8.7.2015 को लिया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार श्री गंगाराम कीर को स्वामित्व प्रमाण पत्र हेतु आवेदन शुल्क 20/–रू व स्वामित्व प्रमाण पत्र शुल्क 100/– कुल राशि 120/– रू बिना लिये ही जारी किया गया है। दिनांक 2.4.2016 को मेरे ध्यान में आते ही मेरे द्वारा कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए श्री गंगाराम कीर को दिनांक 2.4.2016 को नोटिस जारी किया जाकर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया तथा 2.4.2016 को ही श्री गंगाराम कीर से राशि वसूली जाकर ग्राम पंचायत, फूलियांकला में रसीद संख्या 1819/2 राशि 120/– रू जमा की गई, जिसका विवरण जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया। इस प्रकार मेरे द्वारा ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार से राजकोष को हानी नही पहुॅचाई गई। आरोप में यह अंकित करना कि दण्डनीय ब्याज की मूल राशि जमा नही की गई, असत्य है। प्रकरण में यदि किसी प्रकार से राशि पर दण्डनीय ब्याज वसूली योग्य है, तो अब भी संबंधित से वसूली की कार्यवाही की जाकर राजकोष में जमा करायी जा सकती है। यह लेखा संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यवाही है। मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रकरण में मेरे द्वारा कार्यभार (चार्ज) लेने के उपरान्त पत्रावली को देखने पर जानकारी होते ही कार्यवाही की जाकर संबंधीत से 120/– रू वसूल कर राजकोष में जमा किये गए। श्री गंगाराम कीर को तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया उनके द्वारा राशि जमा नही कर गलत कार्यवाही की गई उसका दोषारोपण मुझ पर लगाया गया जो निरस्त योग्य होने से आरोप एवं दण्डादेश दोनों निरस्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 2 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि जिला कलक्टर महोदय की जनसुनवाई कार्यक्रम दिनांक 22.9.

2015 को आर.टी.जी.एस. के स्थान पर चैक द्वारा भुगतान किया गया, लाभार्थीयों को अकाउन्ट पे चैक दिये गए जिनका भुगतान उनके बैंक खातों में जमा हुआ है और जिसमें किसी प्रकार की अनियमित्ता नही हुई है। पंचायत समिति शाहपुरा में तत्कालीन समय में किसी भी ग्राम पंचायत में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान नही किया गया। सभी ग्राम पंचायतों द्वारा चैक के माध्यम से ही भुगतान किया गया। इस प्रकार यह आरोप निरस्त योंग्य है। प्रकरण में शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थीयों को टीएफसी मद की राशि से भुगतान किया गया इस संबंध में निवेदन है कि दिनांक 22.9.2015 को ग्राम पंचायत फुलियांकला के मुख्यालय पर जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा की जनसुनवाई/चौपाल का आयोजन था। विकास अधिकारी शाहपुरा द्वारा यह निर्देश दिये गए थे कि स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत लाभार्थीयों द्वारा बनाये गए शौचालयों के निर्माण का भुगतान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा अपने हाथों से किया जायेगा। विकास अधिकारी महोदय को मेरे द्वारा उसी वक्त बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना अर्न्तगत बजट/राशि उपलब्ध नही है। विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गए अन्य योजना में उपलब्ध राशि से लाभार्थीयों को भुगतान की कार्यवाही की जावे तथा स्वच्छ भारत मिशन में राशि प्राप्त होने पर राशि का समायोजन किया जावें इस प्रकार मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही की गई। दिनांक 22.9.2015 को ग्राम पंचायत फुलियांकला के मुख्यालय पर जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा अपने हाथों से लाभाथीयों को चैक वितरित किये गए। स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त हो चुकी है तथा टीएफसी मद से आहरण की गई राशि का समायोजन कर दिया गया, जिसका ग्राम पंचायत कोरम दिनांक 6.2.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना की गई तथा दिनांक 22.9.2015 को ग्राम पंचायत फुलियांकला के मुख्यालय पर जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा अपने हाथों से शौचालय निर्माण किये गये लाभार्थियों को चेक वितरित किये गये तथा राशि का समाचोजन भी करा दिया गया।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 3 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत फूलियांकला की ग्राम सभा दिनांक 2–7–2015 को प्रस्ताव संख्या 77(4) के अनुसार मानसी नदी से अस्पताल की दीवार तक नाला निर्माण कार्य का प्रस्ताव लिया गया। जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया जो गलत है। आरोप में यह अंकित किया गया कि मानसी नदी से हॉस्पिटल की दीवार तक नाला निर्माण कार्य में 40 एमएम गिट्टी की जगह रिवर ग्रेवल काम में ली गई, यह अस्वीकार है। उक्त कार्य गुणवत्तापूर्वक किया

गया था जो आज भी मौजूद है और उपयोग में आ रहा है। उक्त कार्य का तकमीना व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार मौके पर कार्य करवाया गया। जांच अधिकारी द्वारा संबंधित सामग्री सप्लायर फर्म एवं कारीगर व मजदूरों से कोई जानकारी नहीं ली गई। उक्त कार्य का मौका निरीक्षण अभियनता द्वारा किये जाने के उपरान्त माप पुस्तिका में मौके पर हुए कार्य का माप पुस्तिका में अंकन किया गया। कारीगर गरीब होने तथा अपने पारिवारिक खर्च एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कार्य के पूर्ण होने तक नहीं रूकने क कारण सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला से भुगतान लिया गया जिसका सरपंच द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्य का ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 189(8) दिनांक 24–4–2016 से अनुमोदन भी कराया गया है। भुगतान में किसी प्रकार का कोई गबन एवं अनियमितता जांच रिपोर्ट में नहीं पायी गई है। अतः उक्त आरोप निराधार होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 4 का जवाब देते हुए कथन किया कि एम.बी में इन्द्राज करने का कार्य ग्राम सेवक पदेन सचिव का नहीं होकर अभियन्ता का होता है। इस प्रकार एम.बी. में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया जाता है तो इसके लिए अभियन्ता जिम्मेदार है। उक्त कार्य की प्रशसनिक स्वीकृति 11/30–9–2015 एवं वित्तीय स्वीकृति 13/30–9–2015 अनुसार कार्य दिनांक 16–10–2015 से प्रारम्भ होकर दिनांक 22–10–2015 को पूर्ण हुआ है। अतः उक्त आरोप निराधार होने से अपास्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 5 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि अपचारी कर्मचारी ने ग्राम पंचायत फूलियांकला का कार्यभार दिनांक 8–7–2015 को लिया। तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत फूंलियाकला के द्वारा सोमानिया तालाब की आव पर गेट व फेसवाल निर्माण की स्वीकृति बाबत दिनांक 27–4–2015 को विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को लिखा गया था जिसमें अनुमानित लागत 10.00 लाख व ग्राम सभा दिनांक 3–4–2015 के प्रस्ताव संख्या 2 पर लिया जाना अंकित किया गया है। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 11–5–2015 को सहायक अभियनता द्वारा जारी की गई थी एवं उसी दिन विकास अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य दिनांक 1–6–2015 से दिनांक 4–7–2015 के मध्य पूर्ण किया जा चुका था। अपचारी कर्मचारी पर यह आरोप लगाया जाना कि कनिष्ठ अभियन्ता की कण्डम रिपोर्ट के बिना पुनः टीएफसी मद से कार्य करवाया गया है जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उक्त कार्य मेरे कार्यकाल के दौरान नहीं कराया जाकर मेरे से पूर्व ही प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कार्य पूर्ण करा लिया गया था। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर हुए कार्य का माप पुस्तिका में इन्द्राज किया गया । उक्त कार्य पर

उपयोग में ली गई सामग्री के बिल सबंधित फर्म शिवम टायर फूलियांकला द्वारा मेरे से पूर्व सचिव को प्रस्तुत किये गये थे। संबंधित फर्म द्वारा राशि की मांग करने पर मेरे द्वारा रेकार्ड देखने पर उतानुसार समस्त कार्यवाही होने से संबंधित फर्म को भुगतान की कार्यवाही बाबत सरपंच के समक्ष दिनांक 3–8–2015 को कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत की गई जिस पर भुगतान स्वीकृति दिये जाने उपरान्त चेक नम्बर 004160 दिनांक 5–8–2015 से भुगतान की कार्यवाही की गई। श्रमिकों के भुगतान हेतु कार्यालय टिप्पणी दिनांक 8–8–2015 को सरंपच के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर भुगतान हेतु स्वीकृति दिये जाने के पश्चात श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में जमा कराया गया। उक्त कार्य पर हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात ग्राम सभा दिनांक 24–4–2016 के प्रस्ताव संख्या 189 (3) में व्यय का अनुमोदन किया गया। मेरे द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही विधिवत की गई है अतः आरोप संख्या 5 निराधार होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 6 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में केवल मात्र लेखा में टाईपिंग मिस्टेक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रिया की पालना नहीं होना बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अरिहन्त सेनेटरी हुरडा रोड गुलाबपुरा से केवल दो ही सामग्री क्रय की गई जो सामग्री आवश्यक प्रकृति की होकर जनहित में आवश्यक होने से क्रय की गई। उक्त सामग्री क्रय में वित्तीय स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार से राजकोष को हानि पहुंचाना या किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना नहीं पाया गया है। उक्त व्यय का ग्राम सभा दिनांक 24–4–2016 के प्रस्ताव संख्या 189(4) में अनुमोदन किया गया । अतः आरोप संख्या 6 निराधार होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 7 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि श्री गणेश/बंशीलाल छीपा के शौचालय निर्माण व मौके की जानकारी सरपंच द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने व जेटीए (नरेगा) एवं ब्लॉक कोडिनेटर द्वारा पंचायत समिति में प्रस्तत रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति द्वारा भुगतान किया गया। भुगतान गलत होने की जानकारी होते ही संबंधित से राशि 12,000/– रूपये मय 18 प्रतिशत ब्याज की रिाश 2,160/– रूपये कुल राशि 14,160/– रूपये वसूल किये जाकर राजकोष में बुक नम्बर 1,810 रसीद संख्या 90 दिनांक 14–7–2016 को जमा किये जा चुके है। अतः आरोप निराधार होने से निरस्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 5–3–2018 में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप को बिना उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किये मनमाने तरीके से अनुचित दण्डादेश पारित किया तथा दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जांच केवल खानापूर्ति हेतु ऑफिस में बैठकर तैयार की गई है जिस पर दिये गये निष्कर्ष पर जांच कमेटी के तीनो सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे जांच अपूर्ण है और उक्त अपूर्ण जांच के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा दण्डादेश पारित किया है। जब किसी कर्मचारी के विरूद्ध धारा 16 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के तहत जांच प्रारम्भ की जाती है तो उसको नियमानुसार पूर्ण सुनवाई व बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा केवल जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसको अनदेखा कर खानापूर्ति कर जांच पूर्ण की गई। जांच अधिकारी द्वारा ना तो विभागीय दस्तावेजात प्रार्थी को उपलब्ध करवाये ना ही विभागीय गवाह से दस्तावेजात का सत्यापन कराया गया इससे प्रार्थी को उनसे जिरह करने का अवसर भी नहीं मिला। जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अपने पक्ष में किसी प्रकार का गवाह प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान भी नहीं किया गया जो कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से मांगी गई सूचना के रजिस्टर्ड आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें इसी प्रकरण में तत्कालीन सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता को दिये गये आरोप पत्र एवं इनके विरूद्ध पारित आदेश/निर्णय की प्रतिलिपि चाही गई है। आरोपी कार्मिक का कथन है कि यह प्रार्थना पत्र दिनांक 12–6–2019 को प्रेषित किया गया था जिसकी सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी है। व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर उक्त आवेदन पत्र की सूचना हेतु आग्रह किया गया किन्तु कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई।

उनका आगे कथन है कि उन्हें आशंका है कि उक्त दोनों व्यक्तियों (सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता) के विरूद्ध कोई वसूली नहीं निकाली गई है तथा न ही कोई कार्यवाही की गई है जिसके कारण उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तथा अकेले उन्हें ही दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 5–3–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि श्री कालूराम कुमावत तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत फूलियाकला को अनुशासनिक कार्यवाही सीसीए 16 के तहत ज्ञापन आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र प्रेषित किया जाना स्वीकार है। श्री कुमावत के द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा नहीं किया गया है। श्री कुमावत को अनुशासनिक जांच में पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही उक्त जांच में दण्डादेश पारित किया गया है। जिला परिषद द्वारा जारी दण्डादेश दिनांक 5–3–2018 के अनुसरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा वसूली राशि जमा कराने का आदेश दिनांक 8–8–2018 जारी किया गया जो उचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल है। श्री कालूराम कुमावत पर लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने से उचित आदेश जारी किया गया है। साक्ष्यों के विपरीत किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है।

अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध धारा 16 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के तहत ज्ञापन, आरोप प., आरोप विवरण पत्र जारी किये गये जिनका जवाब अपीलार्थी द्वारा नियत अवधि 15 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 4010 दिनांक 5–4–2017 से उक्त आरोपों की जांच करने हेतु लेखाधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से मामला जांच हेतु प्रस्तुत करने के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को उपस्थापक अधिकारी मनोनित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र का जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26–4–2017, 23–5–2017, 20–6–2017, 1–8–2017, 10–10–2017, 16–11–2017 को लगातार अवसर दिये गये। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16–11–2017 को जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें उस पर आयत आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपस्थापक अधिकारी की ओर से दिनांक 23–5–2017 को जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिनके आधार पर अपीलार्थी पर आयत किये गये आरोपों को प्रमाणित माना गया। अपीलार्थी को उक्त जांच में लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिसके क्रम में दिनांक 8–12–2017 को अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस हेतु कथन प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत जवाब का अंकन करते हुए और कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होने का अंकन भी उक्त कथन में किया गया। इसी के साथ मौखिक बहस सुनी गई जिसमें पूर्व में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया।

अपीलार्थी का यह कथन कि उसे दस्तावेजात उपलब्ध नहीं कराये एवं जिरह एवं गवाह प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया नितान्त ही भ्रामक एवं निराधार है। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें दिनांक 27–3–2017 को विकास अधिकारी शाहपुरा के माध्यम से स्वयं अपीलार्थी को तामील करायी जाकर प्राप्ति ली गई जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसके साथ ही जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र का जवाब/साक्ष्य/गवाह प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26–4–2017, 23–5–2017, 20–6–2017, 1–8–2017, 10–10–2017, 16–11–2017, 8–12–2017, 3–1–2018 को अवसर प्रदान किये गये है। तत्पश्चात जांच रिपोर्ट पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा दण्डादेश दिनांक 5–3–2018 जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी ग्रामसेवक पर आयत किये गये आरोप संख्या 1 लगायत 7, व इन आरोपों के बाबत अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब, एवं जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की जांच रिपोर्ट तथा अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपचारी ग्राम सेवक को जो आरोप पत्र दिया गया है वह अवर सचिव (जांच) एवं ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ–3(138)जांच/परावि/शाहपुरा (भीलवाड़ा)/2016/1835 जयपुर दिनांक 11–4–2016 से सरपंच ग्राम पंचायत फूलियांकला पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थियों को आ.टीजी.एस के स्थान पर चैक से भुगतान करने, टी. एफ.सी. व एस.एस.एफ.सी आदि योजनाओं के तहत निर्माण कार्यो में भारी अनियमितताओं संबंधी शिकायत की जांच किये जाने हेतु गठित जांच दल द्वारा की गई जांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जांच रिपोर्ट के अंत में दस्तावेजों के आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष निम्नानुसार पाया गया थाः–

क्रस	बिन्दु सं0	शिकायत प्रमाणित / अप्रमाणित	दोषियों के पदनाम
1.	01	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
02	02	प्रमाणित	सरपंच
03	03	अप्रमाणित	–
04	04	प्रमाणित	सरपंच / सचिव / क0अभि0
05	05	अप्रमाणित	–
06	06	प्रमाणित	सरपंच / सचिव / क0अभि0
07	07	प्रमाणित	सरपंच / सचिव / क0अभि0
08	08	प्रमाणित	क0अभि0
09.	09	प्रमाणित	क0अभि0
10	10	प्रमाणित	क0अभि0
11.	11	प्रमाणित	सरपंच / सचिव / क0अभि0
12.	12	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
13.	13	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
14.	14	अप्रमाणित	–
15	15	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
16	16	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
17.	17	प्रमाणित	सरपच / सचिव / क.त.स. / खण्ड समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन)
18	18	अप्रमाणित	–
19	19	अप्रमाणित	–
20	20	प्रमाणित	सरपंच / सचिव
21	21	अप्रमाणित	–

अपचारी ग्राम सेवक को जारी आरोप पत्र जिन बिन्दुओं के आधार पर जारी किया गया है वह निम्नानुसार हैः–

क्रस	बिन्दु सं0	शिकायत प्रमाणित / अप्रमाणित	आरोप संख्या	दोषियों के पदनाम
1.	01	प्रमाणित	01	सरपंच / सचिव
02	03	अप्रमाणित	02	–
03	06	प्रमाणित	03	सरपंच / सचिव / क0अभि0
04	07	प्रमाणित	04	सरपंच / सचिव / क0अभि0
05.	11	प्रमाणित	05	सरपंच / सचिव / क0अभि0
06.	12	प्रमाणित	06	सरपंच / सचिव
07.	17	प्रमाणित	07	सरपच / सचिव / क.त.स. / खण्ड समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन)

जांच के बिन्दु संख्या 6, 7 एवं बिन्दु संख्या 11 में संबंधित सरपंच, संबंधित सचिव एवं संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को संयुक्त रूप से दोषी माना गया था। इन बिन्दु संख्या बाबत तीनों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये जाने चाहिए थे जो

सचिव (ग्राम सेवक) के अलावा शेष दो अर्थात सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता पर आरोप आयत कर आरोप पत्र जारी किये गये अथवा नहीं यह पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। बरवक्त व्यक्तिगत सुनवाई इस संबंध में जब अपचारी ग्राम सेवक से जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस बाबत उनको कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उनका कथन है कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला परिषद् में दिनांक 12–6–2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया गया किन्तु उन्हें आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

दण्डादेश दिनांक 5–8–2018 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के साथ ही अतिनियमित भुगतान की गई राशि अनुपातिक रूप से वसूलनीय मानी गई है जिसके अनुसरण में पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक पसशा/स्था./2018–19/3603 दिनांक 8–8–2018 के द्वारा अपचारी कर्मचारी पर आयत आरोप संख्या 3, 4 व 5 के संबंध में अनियमित भुगतान की राशि के अनुपातिक रूप में वसूली क्रमशः 31,480/–, 16,955/–, 1,58,837/– कुल रूपये 2,07,272/– को अपचारी कर्मचारी के वेतन से कटौति किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलाधीन दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत विभागीय अपील में दौराने दर्ज अपील दिनांक 14–12–2018 को वसूली आदेश दिनांकित 8–8–2019 पर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये गये।

अपचारी ग्राम सेवक द्वारा उन्हें जारी आरोप पत्र संख्या 1 लगायत 7 के संबंध में प्रस्तुत जवाब में उसके द्वारा किया गया निवेदन क्रमशः निम्नानुसार हैः–

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 1 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है कि श्री गंगाराम कीर को दिनांक 18.4.2015 को स्वामित्व प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी नही किया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत फूलियांकला का कार्यभार दिनांक 8.7.2015 को लिया गया था। उनके द्वारा पूर्ण रूप से अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रकरण में उनके द्वारा कार्यभार (चार्ज) लेने के उपरान्त पत्रावली को देखने पर जानकारी होते ही कार्यवाही की जाकर संबंधित से 120/– रू वसूल कर राजकोष में जमा किये गए। श्री गंगाराम कीर को तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया, उनके द्वारा राशि जमा नही कर गलत कार्यवाही की गई उसका दोषारोपण अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया जो विधिसम्मत नहीं है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 2 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि जिला कलक्टर महोदय की जनसुनवाई कार्यक्रम दिनांक 22.9.2015 को आर.टी.जी.एस. के स्थान पर चैक द्वारा भुगतान किया गया, लाभार्थीयों को अकाउन्ट पे चैक दिये गए जिनका भुगतान उनके बैंक खातों में जमा हुआ है और जिसमें किसी प्रकार की अनियमित्ता नही हुई है। स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त हो चुकी है तथा टीएफसी मद से आहरण की गई राशि का समायोजन कर दिया गया, जिसका ग्राम पंचायत कोरम दिनांक 6.2.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना की गई ।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 3 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है कि कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया था जो आज भी मौजूद है और उपयोग में आ रहा है। उक्त कार्य का तकमीना व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार मौके पर कार्य करवाया गया। जांच अधिकारी द्वारा संबंधित सामग्री सप्लायर फर्म एवं कारीगर व मजदूरों से कोई जानकारी नहीं ली गई। उक्त कार्य का मौका निरीक्षण अभियनता द्वारा किये जाने के उपरान्त माप पुस्तिका में मौके पर हुए कार्य का माप पुस्तिका में अंकन किया गया। कार्य का ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 189(8) दिनांक 24–4–2016 से अनुमोदन भी कराया गया है। भुगतान में किसी प्रकार का कोई गबन एवं अनियमितता जांच रिपोर्ट में नहीं पायी गई है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 4 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है किएम.बी में इन्द्राज करने का कार्य ग्राम सेवक पदेन सचिव का नहीं होकर अभियन्ता का होता है। इस प्रकार एम.बी. में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया जाता है तो इसके लिए अभियन्ता जिम्मेदार है न कि ग्राम सेवक।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 5 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है अपचारी कर्मचारी ने ग्राम पंचायत फूलियांकला का कार्यभार दिनांक 8–7–2015 को लिया। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 11–5–2015 को सहायक अभियनता द्वारा जारी की गई थी एवं उसी दिन विकास अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य दिनांक 1–6–2015 से दिनांक 4–7–2015 के मध्य पूर्ण किया जा चुका था। उक्त कार्य उनके कार्यकाल के दौरान नहीं कराया जाकर अपचारी ग्राम सेवक के कार्यग्रहण से पूर्व ही प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कार्य पूर्ण करा लिया गया था। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर हुए कार्य का माप पुस्तिका में इन्द्राज किया गया । उक्त कार्य पर हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात ग्राम सभा दिनांक 24–4–2016

के प्रस्ताव संख्या 189 (3) में व्यय का अनुमोदन किया गया। अपचारी द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही विधिवत की गई है

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 6 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में केवल मात्र लेखा में टाईपिंग मिस्टेक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रिया की पालना नहीं होना बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अरिहन्त सेनेटरी हुरडा रोड गुलाबपुरा से केवल दो ही सामग्री क्रय की गई जो सामग्री आवश्यक प्रकृति की होकर जनहित में आवश्यक होने से क्रय की गई। उक्त सामग्री क्रय में वित्तीय स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार से राजकोष को हानि पहुंचाना या किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना नहीं पाया गया है। उक्त व्यय का ग्राम सभा दिनांक 24–4–2016 के प्रस्ताव संख्या 189(4) में अनुमोदन किया गया है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप संख्या 7 के संबंध में अपने जवाब में कथन किया गया है श्री गणेश/बंशीलाल छीपा के शौचालय निर्माण व मौके की जानकारी सरपंच द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने व जेटीए (नरेगा) एवं ब्लॉक कोडिनेटर द्वारा पंचायत समिति में प्रस्तत रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति द्वारा भुगतान किया गया। भुगतान गलत होने की जानकारी होते ही संबंधित से राशि 12,000/– रूपये मय 18 प्रतिशत ब्याज की रिाश 2,160/– रूपये कुल राशि 14,160/– रूपये वसूल किये जाकर राजकोष में बुक नम्बर 1,810 रसीद संख्या 90 दिनांक 14–7–2016 को जमा किये जा चुके है।

अपचारी ग्राम सेवक के जवाब व व्यक्तिगत सुनवाई एवं उपरोक्त विवेचन तथां विश्लेषण के आधार पर यह दृष्टिगोचर होता है कि अपचारी ग्राम सेवक के अलावा शेष दो अपचारी क्रमशः तत्कालीन सरपंच एवं तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही गई यह रिकार्ड पर कहीं उपलब्ध नहीं है एवं न ही अपचारी ग्राम सेवक को उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र के आधार पर भी आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतएव ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पक्षता के अभाव में दोषपूर्ण होने से अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी ग्राम सेवक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक जिपभी/स्था/विजा–16/2017/16151–52 दिनांक 5–3–2018 अपास्त किया जाता है और प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा को

प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सम्पूर्ण प्रकरण में गठित जांच दल द्वारा जांच के बिन्दु संख्या 1 से 21 तक के निष्कर्ष के आधार पर दोषी पाये गये सभी अपचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के आलौक में अपचारी ग्राम सेवक पर आयत आरोपों की नये सिरे से पुनः जांच कर, जांच के आधार पर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: